

श्री ईश दत्त यादव: सर, प्रधान मंत्री जी क्रीमी लेयर पर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है इसलिए उनका उत्तर सदन में आ जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, क्रीमी लेयर का मामला है, इसमें मेरी भी रुचि है। जब एक लाख की राशि तब की गई थी तब परिस्थिति अलग थी अब परिस्थिति बदल गई है। एक लाख रुपये की राशि को बढ़ाने का वक्त आ गया है और शीघ्र ही इस संबंध में कदम उठाये जायेंगे।

श्री रामदेव भंडारी: सर, पालिसी मैटर से संबंधित प्रश्न है, कोई आंकड़े से संबंधित नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: सर, पालिसी मैटर तो क्वेश्चन आवर में पूछा ही नहीं जाता है।

श्री रामदेव भंडारी: सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने मंडल कमीशन के अन्तर्गत ओबीसी को आरक्षण दिया है। कुछ ऐसे ओबीसी उम्मीदवार होते हैं जो सामान्य कोटि में कम्पीट कर जाते हैं। मुझे ऐसी जानकारी है कि जो उम्मीदवार सामान्य कोटि में कम्पीट कर जाते हैं उनको भी आरक्षित कोटि में रख दिया जाता है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ओबीसी के उम्मीदवार सामान्य कोटि में कम्पीट करते हैं उनको सामान्य कोटि में रखा जाता है और जो बाकी रह जाते हैं, जो सामान्य कोटि में कम्पीट नहीं करते हैं तो उनको आरक्षित कोटि में रखा जाता है या नहीं? मैं प्रधान मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, कुल मिलाकर आरक्षण कितना है और उसका लाभ जिस प्रतिशत में तय किया गया है, उसके अनुसार है या नहीं है यह देखा जाता है और इसलिए दोनों कोटि में आने वाले उम्मीदवारों की गणना की जाती है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, यह प्रश्न ऐसा है जो दिल्ली से यानी इस सचिवालय से ही संबंधित है। इसके आंकड़े यहीं से इकट्ठे हो सकते हैं तो यह प्रश्न तो अलपसूचित प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। श्रीमन्, आपने अभी जो निर्देश दिए हैं वह यह दिए हैं कि अगले सेशन में आप इस प्रश्न को रखिएगा तब होगा। जब माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं और ये चीजें किसी जिले में नहीं जानी हैं, किसी राज्य में नहीं जानी हैं, केवल यहीं से इसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो मैं सश्रुता हूँ कि 29 तारीख तक का समय काफी है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करके अगले सप्ताह में लाने का आप निर्देश दें।

श्री सभापति: 29 तारीख तक का समय काफी नहीं है सरकार के लिए सब कुछ इकट्ठा करना।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय -

*523. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:†

श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में अन्तर बढ़ता जा रहा है; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा वर्ष 1970-71, 1980-81 और 1990-91 (अनन्तिम) के संबंध में निबल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) की दृष्टि से परिगणित किए गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के अनुमान निम्नानुसार हैं—

प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद

(रु०/प्रतिवर्ष वर्तमान कीमतों पर)

	1970-71	1980-81	1990-91
	(अनन्तिम)		
1. ग्रामीण	529	1245	3510
2. शहरी	1294	2888	9579
3. शहरी-ग्रामीण	2.4	2.3	2.7
असमानता (2)/(1)			

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में असमानता, 1970-71 में 2.4 गुने से 1980-81 में 2.3 गुना, असमानता में कमी दिखाती है। तथापि, 1990-91 के लिए अनन्तिम अनुमान में तदनुरूप अनुपात 2.7 है।

(ग) शहरी-ग्रामीण असमानताओं, विशेषकर आय और उपभोग, में कमी लाने का लक्ष्य कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करके प्राप्त किया जाना है। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में कृषि को योजना विधियों का 60 प्रतिशत उद्दिष्ट करते हुए तथा कृषि में सार्वजनिक निवेश, ग्रामीण विकास, सिंचाई

†सभा में यह प्रश्न हरमोहन सिंह यादव द्वारा पूछा गया।

और कर में छूट सहित विभिन्न प्रोत्साहन देकर कृषि उत्पादन में परिमाणवात्मक वृद्धि प्राप्त करने को प्रमुखता दी है जिससे कि कृषि, बागवानी, वानिकी खाद्य-प्रसंस्करण, मत्स्य पालन आदि, जनता की क्रय-शक्ति बढ़ाने में परिणामोन्मुखी विकास के माध्यम बन सकें।

चौधरी हरमोहन सिंह यादव: माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक और सही नहीं है। फिर भी, इस उत्तर में यह स्पष्ट है कि निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष आय शहरी क्षेत्र से प्रति व्यक्ति की आय कम रही है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? इसमें कितनी सफलता मिली है और भविष्य में सरकार की क्या योजनाएँ हैं?

श्री राम नाईक: सर, एक बात में तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि यह जो अन्तर है उसको कम करने में अब तक के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। यह बात ख्याल में रखकर हमने जो नेशनल ऐजेंडा बनाया है उसमें हमने यह तय किया है कि टोटल प्लानिंग का 60 परसेंट इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चरल, रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज, जहां से ग्रामीण लोगों की आय की वृद्धि हो सकती है ऐसे कामों में लगायेंगे। उसी भूमिका को ध्यान में रखकर नेशनल ऐजेंडा में ही हमने बात रखी है ऐसा ही नहीं है। इस साल जो बजट हमने बनाया है उस बजट में रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने गत साल की तुलना में 30 परसेंट अमाउंट ज्यादा दिया है।

We have given Rs. 895 crores for the agricultural and allied activities. और रूरल डेवलपमेंट में तो गये साल 5801 करोड़ थे और उसके बदले में 8180 करोड़, मतलब 2381 करोड़ हमने ज्यादा दिये, 41 परसेंट additional amount we have given. We are now attempting to ensure that this gap gets reduced at least in future.

चौधरी हरमोहन सिंह यादव: सर, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की संख्या अधिक है इसलिए बेरोजगारी को कम करने अथवा पूरी तरह समाप्त करने की सरकार की क्या कोई योजना है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ?

श्री राम नाईक: मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां एग्रीकल्चर, होटिकल्चर, फौरेस्ट्री फूड प्रोसेसिंग और फिशरी आदि हैं जिनके कारण वहां लोग काम कर सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना में भी हम अधिक धन देकर यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आकर काम करें। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए भी हमने एमाउंट बढ़ाया है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग आकर काम कर सकें और इस प्रकार का

प्रयास हम इन योजनाओं के जरिए आगे भी करते रहेंगे।

श्री ईश दत्त यादव: सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच जो आर्थिक असमानता है यह निरन्तर बढ़ती जा रही है, इसको मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है। 1970-71 में 2.4, 1980-81 में 2.3 और 1990-91 में 2.7 हो गई है। आपने कृषि के लिए अपने एजेन्डे के अनुसार सात प्रतिशत रखा है, यह बहुत स्वागतयोग्य है और इससे लाभ मिला। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, मेरी राय में जब तक कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए छोटे उद्योगधंधों का सहारा न दिया जाए और लघु उद्योग के लिए उन्हें सहाय्यता न दी जाए तब तक यह शहर और गांव का अंतर बढ़ता ही जायेगा। क्योंकि इस सरकार का जो गरीबों नापने का पैमाना है वह प्रति व्यक्ति शहर में 122 रुपए है और देहात में 107 रुपए है और यह निरन्तर बढ़ रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कृषि के अलावा लघु उद्योग या इसी तरह से अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है? अगर निर्णय लिया है तो वह क्या निर्णय लिया है और इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि जो गरीबों का अंतर देहात और शहर में है यह कब तक समाप्त हो जाएगा या बराबर हो जाएगा?

श्री राम नाईक: लघु उद्योग का विकास मुख्यतः खादी विल्लेज कमीशन के जरिए अलग-अलग कार्यक्रम अपनाए जाते हैं उसके कारण होता है। आज तक खादी विल्लेज इण्डस्ट्रीज केवल ग्रान्ट्स देती रही है। अब इस समय केवल ग्रान्ट्स न देते हुए एक नई योजना हमने बनाई है जिसमें नए उद्योग शुरू करने की दृष्टि से उनको अधिक अच्छा प्रशिक्षण देना और उसके लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, यह सब करना हमने तय किया है। इससे पहले की तुलना में खादी विल्लेज इण्डस्ट्रीज को अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा।

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है और उनकी हालत दिन-पर-दिन दयनीय होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज से दस वर्ष पहले खादी कमीशन का जो काम गांव में होता था वह अब शहरों की तरफ आ गया है। अब गांव के नाम पर शहर में काम होता है। यदि सही मायने में देहात के लोगों को फायदा पहुंचाना है तो गवर्नमेंट पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, मंत्री जी को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देहाती लोगों को फायदा पहुंचाना है तो वहां पर लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग और खादी कमीशन की तरफ से ऐसी योजनाएँ चलाई जाएँ जिससे बेरोजगार,

बेसहारा लोगों को रोजी-रोटी मिल सके, कम से कम जिन्दगी गुजारने लायक उनकी आमदनी हो सके। क्या इसके ऊपर मंत्री जी विचार करेंगे और इस सिलसिले में वे कोई ठोस कार्यवाही करेंगे?

امولناحيب الرحمل گمانی به سباحتی
 مہودے، میں آپکے مودھیم سے یہ جاننا
 چاہتا ہوں کہ اگر اس میں اکثریت میں خاص
 طور پر مجموعی ہمیں تحقیقی پر مزدوروں
 کی آمدنی کا کوئی استقوت نہیں ہوتا
 ہے اور ان کی حالت دن بہ دن قابل رحم
 ہوتی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
 کہ آج سے دس سال پہلے کھادی کمیشن
 کا کام جو گاؤں میں ہوتا تھا وہ اب
 شہروں کی طرف آگیا ہے، اب گاؤں کے
 نام پر شہر میں کام ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنی
 میں دیہات کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا
 ہے تو گورنمنٹ پالیسی کا صحیح طریقہ
 سے امپلی منیشن ہو، منتری جی کو ان
 سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے،
 دیہاتی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو
 وہاں پر گھوڑا دیوگ، کھادی کراؤم ایجوکیشن
 اور کھادی کمیشن کی طرف سے ایسی یونٹیاں
 چلائی جائیں جس سے بے روزگار بے
 سہارا لوگوں کو روزی روٹی مل سکے، کم
 سے زندگی گزارنے لائق ان کی آمدنی ہو
 سکے۔ کیا اسکے اوپر منتری جی و چار
 کرینگے اور اس سلسلے میں وہ کوئی
 عقوس کارروائی کریں گے۔]

श्री राम नाईक: इस संदर्भ में जो भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं उनके लिए तो जवाहर रोजगार योजना है। जवाहर रोजगार योजना में जो काम चल रहा है उसके लिए हमने अधिक अमाउंट का प्रावधान किया है, आबंटन किया है। इसकी भूमिका को ख्याल में रखते हुए इसमें ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है। जो आपने कहा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की बात तो कुछ मात्रा में यह बात सही है कि उसमें शहरी क्षेत्रों में अधिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। इसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं। राज्यों की जो विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हैं उनके जरिए ये योजनायें अधिक अच्छे ढंग से चले इसका प्रयत्न हम करेंगे। मैं आपको भावना से सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक उद्योग बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री गांधी आज़ाद: महोदय, शहरी और ग्रामीण असमानता को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में जिनके पास खेती है उनके लिए तो सरकार द्वारा उनकी सामाजिक आय बढ़ाने के लिए, कृषि, सामाजिक बागवानी, वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन आदि योजनाओं से विकास, इसमें दिखाया गया है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिनके पास खेती नहीं है, उनकी आय में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? अगर कोई उपाय किए गए हैं तो उनका विवरण क्या है और नहीं किए गए हैं तो उनके विकास के लिए क्या क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री राम नाईक: यह बात फिर दोहराई जा रही है। यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जितना काम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए यह जो जवाहर रोजगार योजना है, वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग 6-7 प्रकार की योजनायें हैं। हमने इसके बारे में यह सोचा है कि इन सभी योजनाओं को इकट्ठा करके कैसे सुधरे ढंग से इसको कार्यान्वित किया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है और जब नाईथ प्लान फाइनलाइजेशन के लिए ड्राफ्ट रिव्यू के रूप में आएगा तो उसमें हम डिटेल् में जाकर इस बारे में सोच सकते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: श्रीमन् यह जो योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जवाहर रोजगार योजना इत्यादि, इनमें जो धन खर्च होता है उसका 15 पैसा लक्ष्य तक पहुँच पाता है। यह बात राजीव गांधी के जमाने से कही जा रही है और संभवतः यही स्थिति आज भी हो। मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान स्थिति क्या है। इस पर अगर मंत्री जी प्रकाश डालें तो उचित रहेगा। एक और बात उठती है कि देश में वर्तमान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 36 करोड़ से कुछ अधिक है। यह जो 36 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनकी आमदनी क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं या शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं? इनका कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कितना प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है? क्या ऐसे कोई आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं हैं? जहां तक कुटीर उद्योगों की बात है, रिजर्व बैंक ने एक सर्वेक्षण कराया था और इसी वर्ष इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

श्री एसएल कपूर की अध्यक्षता में यह सर्वेक्षण हुआ था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक कुटीर उद्योगों के संदर्भ में कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है। 50 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संदर्भ में स्पष्ट नीति न होना यह चिंता का विषय है। इसके बारे में मंत्री जी क्या सोचते हैं?

श्री राम नाईक: इसीलिए मैंने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएँ हैं उनको इकट्ठा करके मल्टीपलिसिटी आफ डिपेंडेंट स्कीम जो होती है, इसे कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं; जहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान कि 5 प्रतिशत पहुंचता है तो उन्होंने कभी.....

श्री नरेन्द्र मोहन: 5 प्रतिशत नहीं उन्होंने 15 प्रतिशत कहा था।

श्री राम नाईक: इसके संबंध में कि पूरा पैसा वहां तक नहीं जाता है, यह बात सही है। लेकिन उनका यह कहना जो था, उन्होंने कभी भी आंकड़ों के जरिए यह सिद्ध करके नहीं दिखाया था। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जितना पैसा यहां से जाता है उसका उपयोग नहीं होता। इस के लिए जो जिला परिषदें हैं, ताल्लुका पंचायत राज जो शुरू हुआ है उसमें हमारे संसद के प्रतिनिधि भी होते हैं। मैं यह चाहूंगा कि यदि हम वहां एफेक्टिव प्लानिंग करें तो जिला परिषद् की योजनाओं में इससे कुछ लाभ हो सकता है।

श्री नरेन्द्र मोहन: मेरा प्रश्न यह था कि कितना पैसा खर्च होता है?

श्री सभापति: उन्होंने आंकड़ा नहीं लगाया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has indicated in part (c) of his statement that they would earmark 60 per cent of the Plan funds for investment in agriculture, rural development, irrigation etc. He has quoted in reply to the first supplementary, two figures. He has said that the budgetary allocation for this year for agriculture and allied activities is Rs. 895 crores, if I have heard him correctly, and Rs. 2,381 crores for rural development.

SHRI RAM NAIK: That is additional.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It cannot be additional, Mr. Minister. You please check up your figures. This is your total budgetary support. I am not talking of the IEBR. I am talking of the budgetary support. It was increased from Rs. 36,000 crores to Rs. 42,000 crores. Therefore, please check up your figures. I am not going to dispute your figures. If you are happy with them, you can remain happy with them.

You have indicated that your emphasis would be on such sectors which will generate

more employment and more wealth in the rural sector. One such sector which you yourself have identified is food-processing. What is the total allocation for food processing units for this year? If you do not have the figure, you consult the statement of your colleague in reply to the next question, No. 524. The total allocation for the entire food processing industry and the activities which you are having, food processing, providing infrastructure facilities, modernisation, expansion, setting up new units, is Rs. 21 crores. That is the total allocation you are making for the food processing industry, and you are expecting that that will generate adequate employment and adequate wealth.

Secondly, another question arises from here. This Government is always making a comparison between revised estimates and budget estimates, which is totally wrong because we do not know what would be the total Plan expenditure unless we reach the 31st of March next year. From the experiences of the last two years, 1996-97 and 1997-98, we have seen that the total Central Plan expenditure has been reduced by Rs. 10,000 crores each year. Therefore, you get no satisfaction by comparing the RE figure and the BE figure. All the statistics which you have given, compare RE and BE. How do you know the BE figure for 1998-99 unless you reach the figure? It is not correct.

I want to know from the hon. Minister whether the allocation which he has made—I am talking of the budgetary support—for this year is 60 per cent of the current year's Budget allocation as has been presented in the Annual Financial Statement.

SHRI RAM NAIK: Sir, our aim is 60 per cent.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What have you given for this year?

SHRI RAM NAIK: You cannot expect everything to be done in the first year.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Anyway, what have you given for this year?
....(Interruptions)...

SHRI RAM NAIK: So far as the comparison of the revised estimates and the budget estimates is concerned, I think, that is the practice. That has to be done.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It was never done. I am sorry to tell the Minister this thing. You go through the statements of

different Finance Ministers. Please don't mislead the House. All along, it has been comparison of BE with BE. For the first time in my life I am seeing that the Finance Minister is making a comparison between the RE and the BE. You go through the Finance Minister's statements every year, year after year, and you will find comparisons BE with BE. In exceptional cases it has been done between RE and BE. Please remember that.

SHRI RAM NAIK: This issue can be raised when the Finance Bill is discussed. So far as my figures are concerned, I have no option but to give the figures, of what was done last year and what we propose to do this year. It is quite natural that the last year's figures, that is, the revised estimates, are required to be given. The question asked is, "What do we propose to do?" What we propose to do has been given by way of the allocation. That is what we are expected to do.

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, in all developing countries, access to micro credit is being regarded as one of the measures for generating self-employment. Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what measures are being taken Statewise for access to micro-credit in rural areas, particularly for women, so that the process of migration from rural to urban areas can be arrested.

SHRI RAM NAIK: Sir, these are matters of detail. If a separate question on it is asked, I can give the information. But, our effort is that the migration from rural areas to urban areas is arrested. That can be done only if we provide more employment and have more production in the rural areas. That is what we are trying to do.

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 524.

श्री नरेश यादव: महोदय, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। मैंने दो प्रश्नों पर अपना नाम पहले भी दिया लेकिन आपने कृपा का अवसर नहीं दिया... (व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, 15 मिनट हो गए हैं। श्री दुपद बरगौड़ाई... (व्यवधान) नेक्स्ट क्वेश्चन... (व्यवधान) अब नहीं।

श्री नरेश यादव: अभी तक आपकी कृपा नहीं हो रही है... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है... (व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, the hon. Minister has to answer on micro-credit and migrations. Please protect the Member. Micro-credit is very different from migration. The hon. Member wanted to know about the micro-credit, not about the migration. He has not said anything about the micro-credit.

श्री रामशेर सिंह मुरजेवाला: मैंने सबसे पहले नाम लिखवाया, 50 दफे हाथ खड़ा किया और आपने मुझे मौका नहीं दिया... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Question No. 524. Mr. Borgohain.

Food Processing Industries in North-East

*524. **SHRI DRUPAD BORGOHAIN:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many units of food processing industries have been set-up by Government in North-Eastern States during the last three years;

(b) whether Government have any plan to use the large production of pineapples in that area for food processing industries; and

(c) whether Government have any plan to preserve the fruits produced in that region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Food Processing Industries operate both in the large/mediumscale of "organised" sector and the "unorganised" small tiny and cottage and household sectors. Given their nature, data on the tiny, cottage and household sector including on the number of such units are not available.

According to the Annual Survey of Industries 1994-95 published by the Central Statistical Organisation (Department of Statistics), there were 29407 factories of all types in the various product categories of the food processing industry e.g. cereals, milk, fruit and vegetables. The statewide distribution of these factories is set out in the Statement-I (See below)

The Annual Survey of Industries covers all factories registered under Section 2m(i) and 2m(ii) of the Factories Act 1948, employing 10